CHAPTER - IX PAYMENT OF TAX

Rule 85: Electronic Liability Register

- (1) The electronic liability register specified under sub-section (7) of section 49 shall be maintained in FORM GST PMT-01 for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount on the common portal and all amounts payable by him shall be debited to the said register.
- (2) The electronic liability register of the person shall be debited by
 - (a) the amount payable towards tax, interest, late fee or any other amount payable as per the return furnished by the said person;
 - (b) the amount of tax, interest, penalty or any other amount payable as determined by a proper officer in pursuance of any proceedings under the Act or as ascertained by the ¹[said person; or]
 - (c) ²[****]
 - (d) any amount of interest that may accrue from time to time.
- (3) Subject to the provisions of section 49, ³[section 49A and section 49B,] payment of every liability by a registered person as per his return shall be made by debiting the electronic credit ledger maintained as per rule 86 or the electronic cash ledger maintained as per rule 87 and the electronic liability register shall be credited accordingly.
- (4) The amount deducted under section 51, or the amount collected under section 52, or the amount payable on reverse charge basis, or the amount payable under section 10, any amount payable towards interest, penalty, fee or any other amount under the Act shall be paid by debiting the electronic cash ledger maintained as per rule 87 and the electronic liability register shall be credited accordingly.
- (5) Any amount of demand debited in the electronic liability register shall stand reduced to the extent of relief given by the appellate authority or Appellate Tribunal or court and the electronic tax liability register shall be credited accordingly.

¹ Substituted "said person;" by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

² Clause (c) omitted by N. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to omission it was read as,

[&]quot;(c) the amount of tax and interest payable as a result of mismatch under section 42 or section 43 or section 50; or"

³ Inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

- (6) The amount of penalty imposed or liable to be imposed shall stand reduced partly or fully, as the case may be, if the taxable person makes the payment of tax, interest and penalty specified in the show cause notice or demand order and the electronic liability register shall be credited accordingly.
- (7) A registered person shall, upon noticing any discrepancy in his electronic liability ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter, through the common portal in FORM GST PMT-04.

www.cggst.com

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

अध्याय 9 कर का संदाय

नियम 85 : इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर

- (1) धारा 49 की उप—धारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलम्ब फीस या कोई अन्य रकम का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्ररूप जीएसटी पीएमटी—001 में बनाया रखा जाएगा और उसके द्वारा संदेय सभी रकमें उक्त रजिस्टर में से विकलित की जाएंगी।
- (2) व्यक्ति के विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में से निम्नलिखित विकलित किया जाएगा —
 - (क) उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब फीस के लिए संदेय कोई रकम या संदेय कोई अन्य रकम;
 - (ख) अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में समुचित अधिकारी द्वारा यथा अवधारित या उक्त व्यक्ति द्वारा यथा अभिनिश्चित संदेय कर, ब्याज, शास्ति की रकम या कोई अन्य रकम;
 - (ग) ¹[.....]
 - (घ) ब्याज की कोई ऐसी रकम, जो समय—समय पर प्रोद्भूत हो।
- (3) धारा 49 ²[या धारा 49क या धारा 49ख] के अधीन उपबंधों के रहते हुए, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसकी विवरणी के अनुसार प्रत्येक दायित्व का संदाय नियम 86 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता या नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रानिक नकद खाता में से विकलित करके किया जाएगा और तद्नुसार उसे इलेक्ट्रानिक दायित्व रिजस्टर में जमा किया जाएगा।
- (4) धारा 51 के अधीन कटौती की गई रकम या धारा 52 के अधीन संग्रहीत रकम या प्रतिलोम भार आधार पर संदेय रकम या धारा 10 के अधीन संदेय रकम, इस अधिनियम के अधीन ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम नियम 87 के अनुसार रखे गए इलेक्ट्रानिक नकद खाते में से विकलित करके संदत्त की जाएगी और तद्नुसार उसे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
- (5) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रिजस्टर में से विकलित कोई रकम अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुतोष की सीमा तक घटा दी जाएगी और तद्नुसार इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रिजस्टर में जमा की जाएगी।
- (6) अधिरोपित या अधिरोपित किए जाने के लिए दायी शास्ति की रकम, यथास्थिति, भागतः या पूर्णतः घटा दी जाएगी, यदि कराधेय व्यक्ति कारण बताओं सूचना या मांग आदेश में

¹ अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा खंड (ग) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

[&]quot;(ग) धारा ४२ या धारा ४३ या धारा ५० के अधीन बेमेल के परिमाणस्वरूप संदेय कर और ब्याज की रकम;" अधिसूचना क्रमांक ३/२०१९—केन्द्रीय कर, दिनांक २९.०१.२०१९ द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक ०१.०२.२०१९)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

विनिर्दिष्ट कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करता है और उसे तद्नुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

(7) रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक दायित्व खाते में किसी विसंगति के दिखाई पड़ने पर उसे प्ररूप जीएसटी पीएमटी—04 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से मामले में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी को संसूचित करेगा।

www.cggst.com